राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141-2221812, ई-मेलः- pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0 / स्वा0 प्रबं0 / SSB Meeting / 2019 / 348 दिनांक : 28/5/19

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.05.2019 को प्रातः 11 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक पदेन अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्री श्री रघु शर्मा महो0 के निर्देशानुसार आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यो, प्रयासों एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 व नियम, 1996 के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा के बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 28.01.2019 में लिये गये निर्णयों पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) महोदया द्वारा प्रस्तुत की गई पालना का अनुमोदन किया गया।
2. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने माननीय सदन को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 16(क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की, की धारा 16(क)(2)(ड) के लिये तीन महिला विधानसभा सदस्यों के नामों का मनोनयन हेतु पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के कार्यालय स्तर पर लम्बित है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त तीन महिला विधानसभा सदस्यों के मनोनयन बाबत् परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) उक्त पत्रावली को यथाशीघ्र पूर्ण करने की मॉनिटरिंग करेंगे।
3. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने माननीय सदन को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 17(5)(6) के अंतर्गत जिला एवं उपखण्ड स्तर पर गठित की जाने वाली सलाहकार समितियों में तीन विख्यात सामाजिक

कार्यकर्ताओं, जिनमें एक महिला संगठन के प्रतिनिधि का होना आवश्यक है, एक विधि विशेषज्ञ एवं एक चिकित्सा आनुवांशिकीविज्ञ का माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा मनोनयन किये जाने हेतु, निर्देशानुसार नामों की सूची जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर महोदय से यथाशीघ्र मंगवाने के निर्देश प्रदान किये।

4. पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण हेतु निर्धारित पीसीपीएनडीटी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट (पीआईआर) के साथ पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षण के संबंध में निरीक्षणकर्ता हेतु चैक लिस्ट तैयार कर पत्रावली पर राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

5. पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों पर स्थापित सोनोग्राफी मशीन पर लगाये गये एक्टिव ट्रेकर पर वर्तमान में की जा रही सीलिंग प्रक्रिया से परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने सदन को अवगत कराया एवं सुझाव दिया गया कि ट्रेकर के सिलिंग के संबंध में टेम्पर प्रूफ सीलिंग की प्रक्रिया अपनाई जानी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि टेम्पर प्रूफ सिलिंग के संबंध में आवश्यक गाईड लाईन/दिशा–निर्देश तैयार कर राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

6. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचित महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर एवं सोनोग्राफी मशीन पर स्थापित एक्टिव ट्रेकर मशीन के डाटा का विश्लेषण एमएनआईटी के माध्यम से प्रोजेक्ट आधारित डाटा विश्लेषण का कार्य करवाया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये सुझाव पर समस्त बोर्ड द्वारा सहमति देते हुये निर्णय लिया गया कि पीसीपीएनडीटी संबंधित डाटा को विश्लेषण हेतु एमएनआईटी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

7. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति. पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने सदन को अवगत कराया कि इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर दर्ज सूचनाओं का विश्लेषण जिले में नियुक्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक एवं समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) के माध्यम से कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया कि इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर के डाटा का जिला स्तर पर भी विश्लेषण किया जावे एवं विश्लेषण के आधार पर भ्रूण लिंग परीक्षण में सम्मिलित संदिग्ध केन्द्रों पर निगरानी रखकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

8. एक्टिव ट्रेकर में स्टोर डाटा के संबंध में श्री सुमेश सिंह, सलाहकार आईटी द्वारा सदन को जानकारी दी गई एवं पूर्व में राज्य स्तर पर जारी गाईड लाईन पर चर्चा की गई। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि एक्टिव ट्रेकर कम्पनी के प्रतिनिधि

से एक बैठक आयोजित की जाये एवं विभाग को उनके साथ ट्राईपार्टी (त्रिपक्षीय) एग्रीमेंट में सम्मिलित किया जाये। साथ ही एक्टिव ट्रेकर की कार्यप्रणाली पर विभाग का नियंत्रण रखने बाबत् आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार किये जाये।

9. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति. पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) से पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन की गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने के संबधं में जानकारी चाही गई तथा पुलिस विभाग की तर्ज पर सिक्रेट सोर्स फण्ड सृजित किये जाने का सुझाव दिया गया। उक्त सुझाव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं निर्देश दिये गये कि इस संबंध में कार्यप्रणाली तैयार कर पत्रावली पर राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जाये।

10. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति. पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) से वर्तमान में दो मुल्जिमों को हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया है। राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) ने डॉ. इम्तियाज के प्रकरण में उनकी सेवा बर्खास्तगी के संदर्भ में जानकारी चाही जिस पर निर्देशित किया गया कि डॉ. इम्तियाज के विरूद्ध वर्तमान में की जा रही कार्यवाही एवं सेवा बर्खास्तगी की विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा प्रस्तुत की जावे।

11. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति. पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) द्वारा सुझाव दिया गया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किये जा रहे उल्लंघन एवं लिंग परीक्षण से संबंधित शिकायत/गोपनीय सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर एक अलग से मोबाइल नम्बर लिया जावे जिस पर वॉट्स अप के माध्यम से मुखबिर/शिकायतकर्ता अपनी सूचना को लिखित एवं वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर सके। वर्तमान में उक्त शिकायत 104/108 के माध्यम से प्राप्त होती है जिसकी गोपनीयता शत् प्रतिशत नहीं रहती है। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर पर एक अलग से मोबाइल व नम्बर लिया जावे एवं शिकायत हेतु अलग से ई–मेल एड्रेस सृजित किया जाये साथ ही 104/108 टोल फ्री नम्बर को भी संचालित रखा जाये। उक्त सुझाव को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

12. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा माननीय अध्यक्ष चिकित्सा मंत्री महोदय को सुझाव दिया गया कि चूंकि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान सम्पूर्ण भारत में अव्वल है एवं राजस्थान राज्य के सीमावर्ती राज्यों में लिंग परीक्षण किये जाते हैं, इसकी प्रभावी रोकथाम हेतु सीमावर्ती राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) के साथ एक अन्तर्राज्यीय कार्यशाला आयोजित किया जाना उचित है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने

उक्त सुझाव का अनुमोदन करते हुये निर्देशित किया कि अन्तर्राज्यीय कार्यशाला शीघ्र आयोजित की जाये।

13. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति. पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) द्वारा सुझाव दिया गया कि इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर प्रतिवर्ष तीस लाख फॉर्म एफ का डाटा अपलोड किया जाता है जिसका विश्लेषण किये जाने का अभाव है जिस हेतु राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में दो डाटा विश्लेषक की नियुक्ति की जाये। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा सदन के समक्ष सुझाव दिया गया कि डाटा विश्लेषण हेतु दो विश्लेषक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में नियुक्त किये जाये जिसका सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

14. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति. पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एक्टिव ट्रेकर मशीन में स्टोर डाटा को अन्वेषण हेतु निकालने के लिये संबंधित कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाकर डाटा निकालना पडता है जिसमें अनावश्यक समय व्यर्थ होता है परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) द्वारा सुझाव दिया गया कि ट्रेकर मशीन से डाटा निकालने हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सुझाव पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति देते हुये सुझाव का अनुमोदन किया गया।

15. श्री मनोज प्रकाश, वैज्ञानिक डी, एनआईसी द्वारा सदन को इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर दर्ज डाटा का विस्तार से जानकारी दी गई एवं सर्वर पर अत्यधिक डाटा करीबन दो करोड़ फॉर्म एफ अपलोड किये गये हैं, को अलग डाटा बैंक के माध्यम से सर्वर पर स्टोर्ड करने का सुझाव दिया गया जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि दो वर्ष का डाटा सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध रखते हुये शेष डाटा सर्वर पर अलग से स्टोर्ड किया जावे।

➢ बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों का धन्यवाद के साथ किया गया।

(डॉ0 समित शर्मा)
अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :—

A

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। **(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)**
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)**
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

B

1. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री बी. एस. नन्दवाना, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव विधि (वादकरण), विधे विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. श्रीमती कविता मलिक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) निवासी 194, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड जयपुर राजस्थान।

C

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

D

1. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, जोन समस्त राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान राजस्थान (जरिये जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक)।
4. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), राजस्थान (जरिये जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक)।
6. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
7. सलाहकार आईटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को जरिये ई–मेल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
8. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/सलाहकार आईईसी/सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
9. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि दिये गये निर्देशों की अनुपालना कर रिपोर्ट अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
11. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।